राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा (म.प्र.)

RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY CHHINDWARA (M.P.)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

P.G. College Campus Dharam Tekri, Chhindwara   Email-affiliationcuc@gmail.com

क्र. 28058 /संबद्धता/2025   छिंदवाड़ा दिनांक 29/04/2025

प्रति,

प्राचार्य,
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिन्दवाड़ा
जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

विषयः— अस्थाई वार्षिक संबद्धता निरंतरता सत्र 2025—26 ।

संबद्धता हेतु आपके द्वारा प्रेषित आवेदन के परिपेक्ष्य में सूचित किया जाता है कि सत्र 2025—26 के लिये आपके महाविद्यालय को निम्नांकित विषयों हेतु अस्थाई वार्षिक संबद्धता निरंतरता प्रदान की जाती है, **यह संबद्धता/निरंतरता विश्वविद्यालय द्वारा गठित सत्र 2025—26 के निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में अंकित टीप के अधीन रहेगी।**

विषय/शाखा	
बी.ए.	— आधार पाठ्यक्रम, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र कम्प्यूटर एप्लीकेशन, भूगोल, प्रयोजन मूलक हिंदी, **कम्प्यूटर साइंस (विषय)**
बी. कॉम	— आधार पाठ्यक्रम, सभी अनिवार्य विषय, कम्प्यूटर एप्लीकेशन
बी.बी.ए.	
बी.एससी.	— आधार पाठ्यक्रम, वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन , जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी
बी.सी.ए.	
एम.ए.	— हिन्दी साहित्य, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य
एम.एससी.	— गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र ,
एम.काम.	— अनिवार्य विषय (स्ववित्तीय — पी.जी.डिप्लोमा इन योगा, पी.जी.डिप्लोमा इन फिटनेस मेनेजमैंट)

सामान्य शर्तें —

1. शासन की मान्यता/नियामक संस्था की मान्यता प्राप्ति हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति के अभिवचन पत्र के आधार पर अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।
2. अस्थाई सम्बद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा/नियामक संस्था की मान्यता निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय—व्यय पत्रक वित्तीय सत्र समाप्ति के पश्चात् 15 दिवस में चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
4. उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण—पत्र में उल्लेखित शर्तें (यदि कोई हो) की पूर्ति करने के पश्चात् ही आगामी सत्र में सम्बद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी अन्यथा प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
5. विना सम्बद्धता के छात्रों का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
6. प्रयोगशाला, लाईब्रेरी तथा अन्य आवश्यक अधोसंरचना तीन माह में निर्मित एवं विकसित किया जो व इसकी सूचना विश्वविद्यालय को दी जायेगी।
7. किसी भी नियम/निर्देश/प्रावधान की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

आदेशानुसार
29/4/25
कुलसचिव
राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

पृ. क्र. 28059 /संबद्धता/2025   छिंदवाड़ा दिनांक 29/04/2025

प्रतिलिपि :—

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, पांचवी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
2. माननीय कुलगुरू जी के निज सहायक के माध्यम से माननीय कुलगुरू जी की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग जबलपुर (म.प्र.)।
4. वित्त नियंत्रक, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
5. परीक्षा नियंत्रक/गोपनीय शाखा को कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
6. प्रभारी आई.टी. सेल को सूचनार्थ।
7. संबंधित नस्ती।

प्रभारी अकादमिक
राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner